न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –56/2019

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
गफारस्या पुत्र पीरूस्या जाति सांई मुसलमान निवासी कुराडा तहसील परबतसर जिला नागौर		राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार भकरी तहसील परबतसर जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री भंवरलाल पोटलिया।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 21-11-2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार भकरी द्वारा मुकदमा नम्बर 06/2019 सरकार जरिये पटवारी हल्का कुराडा बनाम गफारस्या अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 03.09.2019 को प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार भकरी ने अपीलांट को खसरा नम्बर 1096/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर संवत 2076 में अपीलांट का अतिक्रमण पटवारी हल्का कुराडा द्वारा अपीलांट के विरूद्ध गलत रूप से तैयार टीपी रिपोर्ट के आधार पर मानकर अपीलांट को खसरा नम्बर 1096/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि वाके सरहद मौजा कुराडा से बेदखली का आदेश पारित कर 63/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिनांक 26.08.2019 को पारित किया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून तथ्यों व परिस्थितियों के विरूद्ध साक्ष्य व रेकर्ड के विरूद्ध तथा मौके की स्थिति के विरूद्ध होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन खसरा नम्बर 1096/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर की भूमि कभी भी रास्ते की भूमि नहीं रही। उक्त भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त एंव खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि में दो पक्के कमरे बने हुए है एंव एक पक्की मजार वर्षो पुरानी बनी हुई है एंव भूमि में कम से कम 30 से अधिक पुराने वृक्ष नीम, खेजडी, बबूल, आंवला, नीम्बु वगैराह लगे हुए है, जो वर्षो पुराने है। जिससे स्पष्ट है कि इस भूमि पर से रास्ता कभी नहीं रहा, न ही उक्त भूमि रास्ते के लिए उपयुक्त है। जिससे भी निर्णय जैर अपील गलत, अनुचित व गैर कानूनी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलाधीन भूखण्ड के पूर्व में सडक है एंव पश्चिम में पानी पीने का तालाब व अंगौर है एंव अंगौर से आगे पश्चिम में प्रार्थी के कब्ज काश्त एंव खातेदारी का खेत है।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

उक्त भूमि पर जो बनावटी रास्ता कायम करना बता रहे है, उस जगह पानी का तालाब है, अगर पानी का तालाब जेसीबी से भरवा दिया गया, तो तालाब की क्षमता कम हो जायेगी, केचमेन्ट एरिया समाप्त हो जायेगा तथा भराव क्षमता कम होने से आस पडौस के ढाणी के लोग पानी पीने से महरूम हो जायेगे। जिससे सरकारी नीति (जलाशय के रखरखाव आदि) का भी उल्लंघन होगा। जिससे भी निर्णय जैर अपील गलत, अनुचित व गैर कानूनी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

तथाकथित रास्ते की भूमि स्वीकृत तौर पर प्रार्थी के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि बतायी गई है, जिसके संबंध में राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी टीए संख्या 3522/2017 विचाराधीन है, जिससे राजस्व अदालतो में मामला विचाराधीन रहने के दौरान अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील कतई गलत पारित किया है, जिससे भी निर्णय जैर अपील गलत, अनुचित व गैर कानूनी होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट ने दिनांक 16.08.2019 को न्यायालय को साक्ष्य सबूत एंव दस्तावेज पेश करने के लिए आवेदन पेश कर समय चाहा एंव नाप चौप की कार्यवाही पुनः करने का निवेदन किया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसके बाद पेशी दिनांक 22.08.2019 को रखी एंव उक्त पेशी पर पीठासीन अधिकारी दौरे पर थे एंव पेशी दिनांक 26.08.2019 को रखी गई एंव दिनांक 26.08.2019 को प्रार्थी को शहादत सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता के सभी प्रावधानों को नजरअंदाज कर निर्णय जैर अपील बिना सुनवाई का विधिवत अवसर दिये पारित किया गया है, जिससे निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है। मुझ अपीलांट को शहादत सबूत का अवसर दिये बिना उक्त स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। जिससे निर्णय जैर अपील बिना साक्ष्य सबूत एंव सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित कर दिया गया है, जिससे भी मुझ अपीलांट को शहादत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय जैर अपील अपास्त कर पुनः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये जाने के आदेश पारित किया जाना न्याय संगत है।

राजस्व मण्डल में वादग्रस्त भूमि के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है, जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद अपीलांट को है, अगर राजस्व मण्डल अजमेर ने रास्ते को अवैध घोषित कर दिया और इसी बीच अपीलांट के कमरे व मजार को तोड दिया गया तो अपीलांट को भारी अपूर्णीय क्षति होगी एंव धार्मिक भावना को भी ठेस पहूंचेगी। जिससे निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट मजदूरी पेशा व्यक्ति है, बीपीएल श्रेणी का है एंव लाभार्थी आईडी कार्ड अपीलांट के पास है, अतः प्रार्थी के पीढियों पुराने मकान दौराने विचारण अपील तोड दिये गये तो अपीलांट बेघर हो जायेगा। अपीलांट के अन्य कोई मकान रहने हेतु नहीं है। घोषित रास्ता 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में राजनैति से प्रेरित होकर घोषित किया गया है उक्त रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता नही है एंव भौतिक रूप से अस्तित्व में भी नहीं है, जिसका निर्णय अब ही होना है।

प्रकरण में मुझ अपीलांट को पटवारी हल्का के नोटिस के आधार पर ही निर्णय जैर अपील पारित किया है, पटवारी हल्का के बयान तक नहीं लिये न ही अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर दिया। जिसे मात्र पटवारी हल्का के एक नोटिस के आधार पर इस तरह का निर्णय जैर अपील पारित किया जाना कतई न्याय संगत नहीं है। मातहत न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अत्यन्त ही जल्दी एंव हडबडी रखते हुए निर्णय पारित किया है, क्योकि वर्तमान प्रकरण में न तो अपीलांट को साक्ष्य व शहादत का अवसर दिया गया व न ही जवाब हेतु उचित समय दिया गया, मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलांट को बेदखली करने के उद्देश्य से यह निर्णय जैर अपील पारित किया है, जिससे आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शें में पटवारी हल्का द्वारा यह कही भी अंकन नही किया गया है कि अपीलांट ने किस दिशा में, कितने भू–भाग पर अतिक्रमण किया है इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलांट के विरूद्ध की

Scanned by CamScanner

गई कार्यवाही सरसरी तौर पर की गई है का कथन करते हुए कथन किया कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रकरण संख्या 06/2019 बअनवान सरकार बनाम गफारस्या में आदेश दिनांक 26.08.2019 को अपास्त किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे कि अपीलांट को शहादत सुनवाई का अवसर देकर, अपीलांट की उपस्थिति में नाप चौप कर, वादग्रस्त भूमि के संबंध में विचाराधीन राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के उपरान्त ही पटवारी हल्का व अपीलांट की साक्ष्य ली जाकर निर्णय जैर अपील पारित करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत दो कमरा व मजार बनाकर अतिक्रमण किया है, जबकि उक्त भूमि रास्ते की भूमि है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर परित किये गये निर्णय जैर अपील को उचित होना बताते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में पटवारी हल्का कुराड़ा व निरीक्षक(भू.अ.) वृत जावला की रिपोर्ट 12.07.2019 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम कुराडा के खसरा नम्बर 1096/1 गैर मुमकिन रास्ता की रकबा 0.05 हैक्टयर भूमि में मकान व मजार बनाकर अतिक्रमण किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य, सबूत एवं जबाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। पटवारी हल्का कुराडा व निरीक्षक(भू.अ.) वृत जावला की पुनः मौका फर्द रूबरू मौतबिरान मौजा कुराडा दिनांक 10.08.19 के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है, जिस पर दो कमरा पक्का व मजार बनी हुई है, जो रास्ता घोषित होने के बाद बनाये हुऐ है, मजार काल्पनिक एवं बनावटी है। अपीलान्ट के अनुसार उक्त वादग्रस्त रास्ते के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में कार्यवाही विचाराधीन है, इसलिए मामला विचाराधीन रहते अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को गलत बताया है। परन्तु वकील अपीलान्ट ने अपने उक्त कथन के संबंध में वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित किया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का उपरोक्तानुसार अवैध कब्जा/अतिक्रमण होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनक मूल रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2019.11.22 15:49:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: